

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख वाद संख्या- 73/2020-21(11)

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
03/09/2020	<p>वाद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एंव कार्रवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के झार्पाक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0निति-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एंव सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्म की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एंव अ0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-</p> <p>मीजा- <u>साधोवाड़</u> धाना नं0- <u>47</u> खाता संख्या- <u>69</u> प्लॉट संख्या- <u>311</u> रकबा- <u>278</u> एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अन्विन्द बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मीजा के पंजी-II के जिल्द संख्या- <u>1</u> के पृष्ठ संख्या- <u>256</u> पर जमाबंदी रैयत <u>कानन रजवार पिता मीनारजवार</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उधेश्य निजी लाम एंव राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दरस्तादेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक- <u>19/09/2020</u> को उपस्थापित करें।</p>	

03/9/20
अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

19.09.2020

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत/जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अग्रोत्तर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहत्ता को भेजे।

19/9/20

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जॉच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- कानन रजकार
चि० भोला रजकार
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

भौजा	थाना न०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>साधवाण</u>	<u>५३</u>	<u>६९</u>	<u>$\frac{१११}{२}$</u>	<u>२६०</u>
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या..... १..... पृष्ठ सं०-..... २५० पर कायम है-
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है- १९८८-८९
5. खातियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- जैरआकाद रवाता
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- शु कन्दोवस्ती
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित हैं तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण /अवैध भूबन्दोवस्ती) - शु कन्दोवस्ती
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जॉच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न /बन्दोवस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

कम संख्या लगान रसीद संख्या रसीद निर्गत तिथि वसूली वर्ष

अं० ३१०/३१०/१०/जोकिन्दपुर

महाशय

आदेशित भूमि संघाहित पंजी के अनुसार जैर आकाद रवाता की भूमि के संघाहित पंजी में जमाबंदी सं० २५० दर्ज है। प्राधिकार कोलम में शु. कन्दोवस्ती के सं० १०/१२५(१)८८-८९ अंकित है।

कारण: उक्त जमाबंदी २५/ अक्टूबर १९८९ को उत्तर

करवाई की जा सकती है।
mmh for